न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 87 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. राणाराम पुत्र तुलछाराम
2. खींयाराम पुत्र तुलछाराम जातियान माली निवासीगण खेजडला बिलाडा

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. डाउराम पुत्र हीराराम
2. जवरीलाल पुत्र मदनाराम
3. भलाराम पुत्र मदनाराम
4. श्रीमति केलादेवी पत्नी मदनाराम
5. श्रीमति झूमरी पत्नी भगवानराम जातियान माली निवासीगण खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खेजडला तहसील बिलाडा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितिः– प्रार्थीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 7 सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: **दिनांक :–**04|10|24

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा खातेदारी का दावा पेश किया है, जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 857 रकबा 35 बीघा किस्म बारानी ए, 15 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 868 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 633 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 635 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 636 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 758 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा में से 1/20 वां हिस्सा, खसरा नम्बर 761 रकबा 42 बीघा 3 बिस्वा में से 1/20 वां हिस्सा, खसरा नम्बर 759 रकबा 2 बिस्वा में से 1/20 वां हिस्सा, खसरा नम्बर 760 रकबा 16 बिस्वा में से 1/20 वां हिस्सा, खसरा नम्बर 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा कुल खसरा 10 कुल रकबा 135 बीघा 18 बिस्वा आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज नवला वल्द

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जैरामजी जाति माली निवासी खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की थी। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की पैतृक भूमि है। पैरा सं. 3 में वर्णित वंशावली के अनुसार पक्षकारों के पूर्वज पुरुष नवलाराम जी थे। नवलाराम जी के दो पुत्र तुलछाराम, हीराराम थे। दावे के पद संख्या–1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा नवलाराम पुत्र जैरामजी की खातेदारी की थी। नवलाराम जी के देहान्त के बाद विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा उनके दो पुत्र तुलछाराम, हीराराम के नाम से इन्द्राज की गयी है। इस प्रकार प्रार्थीगण का दावे के पद संख्या–1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा में जरिये उतराधिकार 1ध्2 हिस्सा होता है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 29.08.2022 को बाबा रामदेव जी की जन्म दुज होने के कारण प्रार्थीगण ओर अप्रार्थीगण के साथ स्वजातिय बंधु ओर समाज के लोग ग्राम खेजड़ला में पवारों की पोल में स्थित बाबा रामदेव जी की स्थान पर भजन जागरण और भण्डारा कर प्रसाद वितरण करने को एकत्र हुए थे। उस समय अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण का बातों ही बातों में इस बात पर विवाद हुआ कि उनके ही परिवार के एंक लाऔलाद सदस्य लाबूराम पुत्र चौथाराम की मृत्यु के बाद सामाजिक रिती रिवाज से सारे कार्य व खर्य प्रार्थीगण द्वारा किये गये थे और फिर भी लाबूराम के हिस्से की जमीन पर अप्रार्थीगण ने जो अपने नाम जमीन करवायी है उसमें से अपने नाम कटवा दे या उस समय किये गये खर्च के हिस्से की रकम अदायगी प्रार्थीगण को कर दे। तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से कहा कि उस खर्च के हिस्से की रकम अदायगी की बात तो भूल जाओ और उस खेत की जमीन की नाम कटवाने की तो छोडिये जिस जमीन खसरा नम्बर 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा के आदे हिस्से 14 बीघा 1 बिस्वा पर आप काश्त करते आ रहे है वह राजस्व रेकर्ड में हमारे नामध्अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिस पर आईन्दा से काश्त नही करना, अब हम उस पर कब्जा कर लेंगे ओर हम ही काश्त करेंगे तब प्रार्थीगण को एक बार तो यकीन ही नही हुआ बाद में जब सारे दस्तावेज नामान्तरकरण, ग्राम पंचायत खेजड़ला के प्रस्ताव और बंटवाड़े की प्रतिलिपि दस्तावेज प्राप्त की तो प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि उनके साथ बड़ा विश्वासघात हुआ है और उनके साथ धोखाधड़ी की गयी है, प्रार्थीगण के पिता तुलछाराम अनपढ़ अंगुठा छाप और सरल स्वभाव के भोले भाले व्यक्ति थे जबकि अप्रार्थी संख्या–1 का पिता व अप्रार्थी संख्या–2 ओर 3 का दादा तथा अप्रार्थी संख्या–4, 5 का ससुर हीराराम होशियार, शातिर होने के साथ साथ राजनेता भी था और ग्राम पंचायत खेजड़ला का वार्ड पंच भी रह चुका है इसलिए अपने रसूख से राजस्व अधिकारीयों ओर हल्का पटवारी से मिलीभगत करना उसके लिए आसान था। जब प्रार्थीगण को यह ज्ञात हुआ कि उनके कदीमी काश्त करने की

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

जमीन को अप्रार्थीगण हडपना चाहतें है तो उन्होने उपरोक्त जमीनों से सम्बन्धित सारे कागजात राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त की तब प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या–1 के पिता व अप्रार्थी संख्या–2, 3 के दादा तथा अप्रार्थी संख्या–4, 5 के ससुर हीराराम ने साजिश रचकर हल्का पटवारी तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करते हुए प्रार्थीगण के पिता तुलछाराम के झूठे अंगुठे के निशान से फर्जी दस्तावेज बनाकर प्रार्थीगण के पिता के हिस्से की जमीन खसरा नम्बर 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा के आधे हिस्से 14 बीघा 1 बिस्वा को अपनी बताते हुए फर्जी बंटवाड़ा तैयार करवाकर अपने नाम करवा दी है। उक्त बंटवाड़ा फर्जी तरीके से अप्रार्थीगणों के पूर्वज हीराराम द्वारा अपने सगे भाई प्रार्थीगण के पिता तुलछाराम के साथ धोखाधड़ी से किया गया है जो इस आधार पर साबित होता है कि नामान्तरकरण संख्या–306 के बंटवाडें में खाता संख्या–153 का प्रार्थीगण का पिता तुलछाराम, अप्रार्थीगण के पूर्वज हीराराम में बराबर किया गया है, जबकि नामान्तरकरण सख्या–307 के अनुसार खाता संख्या–154 की सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण के पिता तुलछाराम को हस्तान्तरित कर दी गयी ओर नामान्तरकरण संख्या–308 के अनुसार खाता संख्या–78 की सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वज हीराराम को हस्तान्तरित कर दी गयी जो गलत है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार पैतृक सम्पति का बंटवाड़ा सभी वारिशान में बराबर के हिस्सेदारी से बंटवाड़ा होकर दर्ज रिकॉर्ड होता है किसी भी एक पक्षकार को न तो सम्पूर्ण जमीन दी जा सकती है ओर न ही किसी भी पक्षकार को विलोपित किया जा सकता है साथ ही साथ किसी भी पक्षकार को कम या ज्यादा अर्थात उन्नीस बीस तरीके से भी पैतृक खातेदारी जमीन का बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता है। इसलिए नामान्तरकरण संख्या–307 व 308 गलत है और जिस बंटवाडें के इकरारनामें के आधार पर किया गया है वह भी गलत है। जब प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत खेजड़ला से सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत आवेदन कर बंटवाडें के प्रस्ताव की जानकारी ली तो ज्ञात हुआ कि उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित का उल्लेख किया गया है। लेकिन सर्वसम्मति किसकी तथा सह खातेदारों की या पक्षकारों की लेकिन यहां तो दोनों की सर्वसम्मति नही है, जो स्पष्ट करता है कि ग्राम पंचायत खेजड़ला से उक्त प्रस्ताव पारित करने का एक साजिश है। यह साजिश इसलिए है कि उस समय अप्रार्थीगण के पूर्वज हीराराम वार्ड पंच था और तत्कालीन हल्का पटवारी लादूराम राठौड़ हीराराम का मूंह बोला जंवाई था। जिसके चलते उसका अपना रसूख था। बंटवाडे का इकरारनामा न तो किसी भी पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है और न ही नोटेरी से प्रमाणित है फिर भी उक्त दस्तावेज को रेकॉर्ड पर लेकर उसके आधार पर नामान्तरकरण किया जाना विधि विरूद्ध हैं। इसलिए तथाकथित बंटवाड़े का दस्तावेज स्वतः ही कानूनन

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

रूप से अवैध है। बंटवाडा खेजड़ला कोर्ट में सम्पादित होना बताया गया है जबकि कोर्ट न तो तहसीलदार कार्यालय है और न ही हल्का पटवारी का कार्यालय है कोर्ट तो खेजड़ला ठाकूर साहब का निजी आवास है जहां पर नायब तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया जाना बताना प्रमाणित करता है कि बंटवाड़े का दस्तावेज कुटरचना से फर्जी तरीके से तैयार किया गया है जिसके अप्रार्थीगण के पूर्वज हीराराम द्वारा अपने वार्डपंच होने से अपने पद और रसूख का दुरूपयोग किया गया है। तथाकथित बंटवाडे के दस्तावेज पर किसी भी पारिवारिक सदस्य, स्वजातिय बंधू के हस्ताक्षर नही है। बंटवाड़े इकरारनामा का स्टाम्प पर तत्कालीन हल्का पटवारी लादूराम राठौड़ द्वारा खरीद किया गया था। उसी दिन अन्य पटवारी सोहनसिंह से लिखित करवाया गया, फिर भी सरकारी विद्यालय के दो अध्यापको से हस्ताक्षर करवा दिये गये। प्रार्थीगण को जब धोखाधड़ी की जानकारी हुयी तो प्रार्थीगण के समाज के प्रबुद्धजन लोगों को यह बात बतायी तो समाज के लोगों ने अप्रार्थीगण को समझाया कि पैतृक भूमि खसरा नम्बर 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा में से आधा बंट प्रार्थीगण का है आप प्रार्थीगण के पक्ष में भूमि नाम करवा दो, जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि नाम करवानें से साफ इन्कार कर दिया तो प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से सम्पर्क कर बंटवाडे के बाबत जानकारी चाही तो हल्का पटवारी ने बंटवाडा की नकल व नामान्तरकरण की नकल नही दी तो प्रार्थीगण ने दिनांक 06.09.2022 को तहसीलदार बिलाड़ा प्रथम अपीलीय अधिकारी को जरिये सूचना के अधिकार 2005 के आवेदन से नामान्तरकरण संख्या 306, 307, 308 की नकल प्राप्त की लेकिन तहसीलदार बिलाड़ा ने बताया कि बंटवाडें की नकल उपलब्ध नही है तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से बंटवाड़े का इस प्रकार होने का कारण पुछा तो उन्होने तथाकथित बंटवाडे का इकरारनामा दिखाया जिसका प्रार्थीगण ने मोबाईल से फोटो खींच लिया फिर जब उसे गहनता से पढ़ा तो ज्ञात हुआ कि उक्त बंटवाडें का इकरारनामा न तो कंही से पंजीकृत है ओर न ही नोटेरी से दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण देखने से मालूम हुआ कि नामान्तरकरण सख्या–308 में प्रार्थीगण के पिता तुलछाराम के बंट में खसरा नम्बर 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा की आधी भूमि बंट में रखी ही नही गयी है, जबकि दोनों सहखातेदारों का बराबर का हिस्सा होने से प्रत्येक के बंट में 14 बीघा 1 बिस्वा भूमि आती है फिर प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 07.10.2022 को अप्रार्थीगण को नोटिस भिजवाकर कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा में 1/2 हिस्सा की भूमि प्रार्थीगण के नाम कि रजिस्ट्री करवा दे, जो नोटिस अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया और अप्रार्थीगण ने 21.11.2022 को नोटिस का जवाब पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा में प्रार्थीगण को आधा बंट होना स्वीकार किया है तथा भूमि पैतृक होना भी स्वीकार

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

किया है प्रार्थीगण द्वारा नोटिस दिनांक 07.10.2022 को देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के पक्ष में खसरा नम्बर 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा की आधी भूमि 14 बीघा 1 बिस्वा नाम नही करवायी, इस कारण प्रार्थीगण को अपनी पैतृक भूमि में बंट के लिए घोषणा खातेदारी का दावा पेश करना पड़ रहा है। ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा की खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2011 की जारी की हुयी है, जो खतौनी बंदोबस्त पक्षकारों के पूर्वज पुरूष नवला पुत्र जयराम के नाम से जारी की हुयी है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता तुलछाराम तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पूर्वज हीराराम का बराबर का हिस्सा है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि अकेले हीराराम के बंट में आना किस आधार पर रखी गयी, इसका नायब तहसीलदार ने आदेश एवं बंटवाड़े के इकरारनामें में कोई कारण नही लिखा गया है, जबकि नायब तहसीलदार बिलाड़ा को सह खातेदार की पैतृक भूमि में अकेले एक सह खातेदार के नाम भूमि रखने का कोई कानूनी अधिकार नही है, जिससे साफ जाहिर है कि प्रार्थीगण के पिता तुलछाराम के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या–1 से 5 के पूर्वज हीराराम द्वारा राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर आदेश पारित करवा दिया है। ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या–1 से 5 का बराबर का हिस्सा है तथा दोनों शुरू से ही अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। नायब तहसीलदार ने बंटवाडा इकरारनामा में प्रार्थीगण के बंट में भूमि नही रखने का कोई कारण नही लिखा गया है। जबकि पुश्तैनी भूमि में प्रत्येक पक्षकार का आधा आधा बंट रखा जाता हैं। अतः बंटवाड़ा दिनांक 31.05.1972 तथा उसके आधार पर स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या–308 बीना आधार के होने से तथा नियम विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पारिवारिक बही जिसे बोल चाल की भाषा में चौपनियां कहा जाता है जिसमें भी पूर्वज नवलाराम जी के जीवित रहते बंटवाडे का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार उसे ही वसीयत समझा जावें तो खेत खसरा नम्बर 864 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा दोनों भाईयों तुलछाराम व हीराराम में बराबर अर्थात आधा आधा बंट होना चाहिये। दावे की जानकारी होने पर अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज का गलत फायदा उठाकर विवादग्रस्त भूमि को अन्य किसी को वैचान हस्तान्तरण किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि होगी एवं उनका यह दावा करना निरर्थक हो जायेगा।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि वो ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नम्बर 884 रकबा 28 बीघा 2. बिस्वा का अन्य किसी को वैचान, अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी स. 6 की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने पर अप्रार्थी सं. 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से बाद सम्मन तामिल सरकारी पैरोकार उपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 7 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है। अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का पद सं. 1 का जबाव इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध बिना किसी कानूनी आधार व तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर वास्तविक बात को छुपाकर पेश किया गया, जिसमें किसी प्रकार से सफलता मिलने के कोई आधार नहीं है। प्रार्थना पत्र का पद सं. 2 प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र का पद सं. 3 का जबाव इस प्रकार है कि पद सं. 3 प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की वंशावली से संबंधित है एवं भूमि खसरा सं. 864 रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम दर्ज होने की बात स्वीकार है। लेकिन बंटवाड़ा की बात छिपाकर काल्पनिक रूप से खसरा सं. 864 में कब्जा काश्त होने की बात का वर्णन करते है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद सं. 4 का जबाव इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जाकर मौके पर काबिज होने की बात बंटवाड़ा दिनांक से व्यक्तिगत रूप से प्रार्थीगण की जानकारी में है। लेकिन जागरण का बिना कोई बात के कारण बताकर अन्य बातों को सम्मिलित कर जमीनों के भाव बढ़ने से नियत में खोट आ जाने से अप्रार्थीगण को बंटवाड़ा में प्राप्त भूमि को हड़पने के लिये झूठा व मनगढ़त आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो सारहीन व गलत है। प्रार्थना पत्र का पद सं. 5 का जबाव इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा किया गया बंटवाड़ा बाले–बाले नहीं कर खुलेमन से बंटवाड़ा के नियमानुसार सामलाती भूमि की कीमत कर बड़े हिस्से के रूप में बंटवाड़ा किया गया। जिसकी जानकारी वादीगण को शुरू से है। लेकिन वास्तविक बात प्रार्थीगण के मन में खोट व लोभ आ जाने से पूर्वजों द्वारा आज से करीब 51 वर्ष पहले किये गये बंटवाड़ा की बात को अस्वीकार करते है। जबकि वर्तमान रेकर्ड अनुसार मौके पर अपने–अपने हिस्से पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण अलग–अलग काबिज होकर करीब 51 वर्ष से उपयोग व उपभोग अलग–अलग करते आ रहे है। ऐसा करने का प्रार्थीगण को कोई कानूनी

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अधिकार उत्पन्न नहीं होते। प्रार्थना पत्र का पद सं. 6 का जबाव इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अंजान होने का कथन करते है जो पूर्णरूप से गलत व मिथ्या है। जबकि सच्चाई इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के हिस्से में ग्राम खेजड़ला में स्थित खसरा सं. 758 रकबा 3.0095 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा सं. 759 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा सं. 760 रकबा 0.1294 हैक्टेयर किस्म गै.मु ओडिया, खसरा सं. 761 रकबा 6.8199 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ कुल खसरा सं. 4, कुल रकबा 9.9750 हैक्टेयर में स्थित प्रतिवादी सं. 1 से 5 के हिस्से की भूमि का नामांन्तरकरण सं. 307 के जरिये सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थीगण के पास स्थित है। जो ग्राम खेजड़ला के आबादी सीमा के पास सड़क पर एवं वक्त बंटवाड़ा खेजड़ला की सबसे कीमती भूमि थी। बेरा में पर्याप्त पानी होने से अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होती थी, जमीन को खाद व मिट्टी डालकर पूर्वजों से लगातार उपजाऊ बना रखा था। इसी प्रकार प्रार्थीगण के हिस्से के खसरा सं. 633 रकबा 16.09 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा सं. 635 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, खसरा सं. 636 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय कुल खसरा 3 कुल रकबा 46 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा सं. 268 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अवल इस प्रकार कुल खसरे 4 कुल रकबा 53 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण को हिस्से में दी गई। उक्त भूमि गांव के नजदीक एवं खेजड़ला रणसीगांव मेगा हाईवे के पास रास्ते पर उपजाऊ भूमि है तथा नक्शे व जमाबन्दी में सेटलमेन्ट की भूल से करीब 10 बीघा भूमि जमाबन्दी में कम दर्ज कर दी गई लेकिन मौके पर तरमीम अनुसार उपरोक्त भूमि 10 बीघा भूमि अतिरिक्त होती है। प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि मौके पर खेजड़ला गांव की अच्छी किस्म की भूमि है। जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण के हिस्से में स्थित भूमि खसरा सं. 857 रकबा 50 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं. 864 रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा भूमि ग्राम खेजड़ला से अन्तिम छोड़ पर बांजड़ा की पत्थरीली पहाड़ियों के पास उबड़ खाबड़ भूमि थी, जो अप्रार्थी सं. 1 से 5 के कब्जा काश्त में है। अप्रार्थीगण के पूर्वज हीराराम व प्रार्थीगण के पूर्वज तुलछाराम ने बंटवाड़ा करने से पूर्व गांव के मौजिज लोगों को बंटवाड़ा में शामिल करते हुए आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया गया। ताकि भविष्य में किसी प्रकार से विवाद उत्पन्न नहीं हो। वक्त बंटवाड़ा मौजिज लोगों ने आपसी सहमति से छोटे छोटे टुकड़ों में बंटवाड़ा नहीं कर बड़े हिस्सो में भूमि रखने की बात पर खातेदारी की भूमि के स्थिति अनुसार कीमत की गई। अर्थात् नवोड़ा बेरा यानि खसरा सं. 758, 759, 760 व 761 में स्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हिस्से की कीमत आंकी गई एवं अप्रार्थी सं. 1 से 5 के हिस्से में स्थित भूमि खसरा सं. 864 की भी कीमती की गई। प्रार्थीगण के हिस्से में स्थित खसरा सं. 758 से 761 की भूमि में स्थित हिस्से का नामान्तरकरण सं. 307 के जरिये वादीगण

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

के पूर्वज अकेले के नाम भरा गया तथा खसरा सं. 864 की भूमि का नामान्तरकरण 306 के जरिये अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पूर्वज के नाम भरा गया। मौजिज लोगो व पारिवारिक सहमति से निर्धारित राशि में अतिरिक्त राशि को वादीगण के पिता तुलछारामजी को अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पूर्वज हीरारामजी द्वारा भुगतान किया गया तथा बंटवाड़ा में तय की गई रकम का आपस में लेन देन कर अलग से याददास्त लिखावट मौजिज लोगों की उपस्थिति में की गई एवं कानूनी रूप से बंटवाड़ा अनुसार दस्तावेज में इन्द्राज बाबत एक लिखित बंटवाड़ा किया गया। जिसे नायब तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा तस्दीक किया गया। लिखित बंटवाड़ा व आपसी लेनदेन किये जाने के बाद लिखित बंटवाड़ा की पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 306, 307 व 308 भरा गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण बंटवाड़ा दिनांक 15–05–72 से लगातार बंटवाड़ा में स्थित भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। कालान्तर में अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से की उबड़ खाबड़ भूमि को अलग–अलग छोटे हिस्सों में विभाजित कर समतल की गई तथा खाद मिट्टी डालकर उपजाऊ बनाई गई। खेतों में सुधार कार्य कर खेती योग्य बनाया गया। मौके पर बंटवाड़ा अनुसार दोनों पक्षों का उपयोग व उपभोग बंटवाड़ा दिनांक से किया जा रहा है। जबंकि प्रार्थीगण का कथन कि खसरा सं. 864 की भूमि के हिस्से अनुसार कब्जा काश्त व उपभोग व उपभोग होने की बात गलत व मिथ्या है। हल्का पटवारी द्वारा भरे गये नामान्तरकरण सं. 306 से 308 आपसी सहमति के बंटवाड़ा अनुसार ही प्रार्थना पत्र का पद सं. 7 का जबाव इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार समाज के लोगों की पंचायती नहीं करवाई, न ही किसी प्रकार से खसरा सं. 864 की भूमि में हक अधिकार की बात प्रतिवादी सं. 1 से 5 से की गई। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पूर्वजो के मध्य आपसी सहमति से बंटवाड़ा 51 वर्ष बाद वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण नामान्तरकरण सं. 308 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से में 53 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा सं. 758 से 861 में स्थित बेशकीमती भूमि है तथा अप्रार्थीगण के हिस्से में नामान्तरकरण सं. 308 के अनुसार 50 बीघा 09 बिस्वा भूमि ही रखी गई। प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद में 03 बीघा 06 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पक्ष में कम देने का कोई कारण नहीं बताया। इसी प्रकार खसरा सं. 758 से 761 में स्थित प्रार्थीगण अकेले के नाम नामान्तरकरण किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया, जिसका वाद व प्रार्थना पत्र में कोई किसी प्रकार से वर्णन नहीं किया गया। प्रार्थीगण के हिस्से में स्थित खसरा सं. 758 से 761 में स्थित हिस्से की भूमि सिंचित बेरा सहित पूर्वजों से लगातार उपजाऊ की गई। गांव के पास स्थित भूमि अकेले के नाम नामान्तरकरण सं. 307 भरा गया। किसी प्रकार से उजर ऐतराज प्रार्थीगण के दिल में नहीं हुआ। अप्रार्थी सं. 1 से 5 को गांव के अन्तिम

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

छोड़ पर बांजड़ा पाहड़ियों के पास उबड़ खाबड़ पत्थरीली भूमि हिस्से में देने के 51 वर्ष बाद अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 को हैरान परेशान करने के लिहाज से झूठा व मनगढ़त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि प्रार्थीगण ने नामान्तरकरण सं. 306, 307, 308 की नकल प्राप्त की थी। पद सं. 8 का जबाव इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पूर्वजों द्वारा बंटवाड़ा में वर्णित सम्पूर्ण भूमि दोनों पक्षों के पूर्वज नलवारामजी के नाम की रही है। परन्तु प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पूर्वज दोनों भाई आपस में मौजिज लोगों की उपस्थिति में भूमि की कीमत का आंकलन किया जाकर आपस में लेन देन कर बंटवाड़ा निर्धारित कर मौके पर अलग–अलग काबिज हुए तथा नामान्तरकरण सं. 306, 307, 308 भरा गया। नामान्तरकरण सं. 308 में स्थित भूमि का नामान्तरकरा सं. अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पूर्वज हीरारामजी के नाम भरा गया तो नामान्तरकरण सं. 307 में स्थित भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थीगण के पूर्वज तुलछारामजी के नाम से भरा गया। लेकिन प्रार्थीगण ने केवल नामान्तरकरण सं. 308 अकेले अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 के पूर्वज के नाम भरे जाने का ऐतराज किया गया तथा 1/2 भूमि पर कब्जा होने का वर्णन किया है। लेकिन नामान्तरकरण सं. 307 के संबंध में किसी प्रकार से प्रार्थीगण ने शंका जाहिर नहीं की एवं कब्जा काश्त के बारे में नहीं बताया। जबकि नकल प्रार्थीगण द्वारा नामान्तरकरण सं. 307 की भी प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र का पद सं. 9 का जबाव इस प्रकार है कि ग्राम खेजड़ला स्थित खसरा सं. 864 रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों का आपसी सहमति से किये गये बंटवाडा के बाद यानि पिछले करीब 51 वर्षों से प्रार्थीगण का कभी किसी प्रकार से कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग नहीं रहा। पद सं. 10 का जबाव इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पूर्वज तुलछाराम व अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पूर्वज गांव के मौजिज लोगों की उपस्थिति में आपसी सहमति से दोनों भाईयों की सामलाती भूमि का आपस में मिल बैठकर पूर्ण सहमति से भूमि का बंटवाड़ा किया गया। इस प्रकार आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़ा के पश्चात् प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज मौके पर अलग–अलग आज से करीब 51 वर्ष पहले काबिज होकर अलग–अलग कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वाद बिना कोई कानूनी आधार के तथ्यो को तोड़ मरोड़ कर वास्तविक बात को छुपाते हुए मनगढ़त व आधारहीन वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थीगण को किसी प्रकार से कानूनी अधिकार नहीं बनते। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण के मनगढ़त व झूठे के बाद के आधार पर अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 के विरूद्ध प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र में रिलीफ दी जाती है तो अप्रार्थीगण की अपूर्णियक्षति होगी। जिसकी पूर्ति रूपयों पैसो में नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार प्रार्थीगण का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मूल रूप से कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पूर्वज की है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा खतौनी बन्दोबस्त खसरा नंबर 864 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई जो नवला वल्द जैराम के नाम से इन्द्राज थी। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 864 रकबा 28 बिघा 2 बिस्वा नवलाराम पुत्र जैराम की खातेदारी की थी। नवलाराम के देहान्त के बाद वादग्रस्त कृषि भूमि 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा नवलाराम के दो पुत्र तुलछाराम व हीराराम के नाम से इन्द्राज हो गयी थी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का जरिये उतराधिकार 1/2 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अप्रार्थी सं. 1से 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने कथनों को दोहराया कि खसरा नंबर 758, खसरा नंबर 759, खसरा नंबर 760 व खसरा नंबर 761 में स्थित अप्रार्थी सं. 1 से 5 के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण सं. 307 के जरिये सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थीगण के पास स्थित है। इसी प्रकार खसरा नंबर 633, खसरा नंबर 635, खसरा नंबर 636 एवं खसरा नंबर 268 कुल खसरे 4 कुल रकबा 53 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण को हिस्से में दी गई । उक्त भूमि गांव के नजदीक एवं खेजडलां रणसीगांव मेगा हाइवे के पास रास्ते पर उपजाउ भूमि है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण के हिस्से में स्थित भूमि खसरा नंबर 857 रकबा 50 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 864 रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा भूमि ग्राम खेजडला से अन्तिम छोड पर बांजडा की पथरीली पहाडियों के पास उबड–खाबड भूमि थी जो अप्राथी सं. 1 से 5 के कब्जा काश्त में है। अप्रार्थीगण के पूर्वज हीराराम व प्रार्थीगण के पूर्वज तुलछाराम ने बंटवाडा करने से पूर्व गांव के मौजिज लोगों को बंटवाडा में शमिल करते हुए आपसी सहमति से बंटवाडा किया गया। खसरा नंबर 864 की भूमि का नामान्तरकरण 306 के जरिये अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पूर्वज के नाम भरा गया। पारिवारिक सहमति से निर्धारित राशि में अतिरिक्त राशि को वादीगण के पिता तुलछाराम को अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पूर्वज हीराराम द्वारा भुगतान किया गया तथा बंटवाडा अनुसार दस्तावेज में इन्द्राज बाबत एक लिखित बंटवाडा किया गया। जिसे नायब तहसीलदार बिलाडा द्वारा तस्दीक

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

किया। लिखित बंटवाडा व आपसी लेनदेन किये जाने के बाद लिखित बंटवाडा की पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 306, 307 व 308 भरा गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण बंटवाडा दिनांक 15.05.1972 से लगातार बंटवाडा में स्थित भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता या स्वयं प्रार्थीगण ने इतने सालों तक संबंधित बंटवारे प्रस्ताव पर एतराज क्यों नहीं किया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 864 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा में अप्रार्थी सं. 1 से 5 रेकर्डेड खातेदार है जिससे प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पक्ष में साबित होता है। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 864 में अभिलिखित खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही पक्षकार नहीं बनाने का कोई कारण प्रस्तुत किया गया। सभी रेकर्डेड खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र का निर्णय करना न्यायहित में उचित प्रतित नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 04/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा